प्र.सं. 13/2022 तेजसिंह बनाम देवीसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की खाता संख्या नई 264 पुरानी 213 की कुल आराजियात किता 39 रकबा 2.7750 हैक्टर ग्राम सेनवाड़ा में स्थित है, जिसमें वादी का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 6/32 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का 6/32 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार खाता संख्या 115 नई एवं 103 पुरानी की कुल आराजियात किता 10 रकबा 1.6950 हैक्टर में वादी का मुताबिक हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 6/384 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का 6/384 हिस्सा निहित है एवं इसी अनुसार पक्षकारान काबिज चले आ रहे हैं, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 12 आये दिन वादी को परेशान करते हैं एवं लड़ाई–झगड़ा करते हैं। अतः पक्षकारों मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.04.2021 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 12 ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.02.2022 को प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि कोविड–19 के तहत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को एक ही पेशी दिये जाने के बावजूद हस्तगत प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी, जिसकी जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि प्रतिवादीगण तामिल के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण बंटवारे का होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को शुरू से थी, फिर भी विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील इसी आधार पर खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:27 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 13/2022 तेजसिंह बनाम देवीसिंह

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथम पेशी दिनांक 10.02.2021 को प्रकरण वास्ते तामिल दिनांक 10.03.2021 को नियत किया था तथा बाद तामिल हेतु प्रकरण दिनांक 07.04.2021 को जवाब में रखा गया, लेकिन उक्त दिनांक को कोविड–19 के तहत सभी प्रकरणों में एक जैसी पेशी दी गयी, किन्तु बाद में अपीलान्टगण को पता चला कि उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.03.2021 अनुसार प्रकरण जवाब हेतु दिनांक 07.04.2021 को नियत किया गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब लिये प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में वादी का वाद एकतरफा प्रारम्भिक डिक्री कर दिया, तो विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.04.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.12.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:27 IST
Reason: SelfAttested